न्यायालय लोकपाल मनरेगा, जिला, वैशाली

वाद सं0 – 02 में पारित आदेश की प्रतिलिपि

दिनांक: 07.05.2013

यह वाद श्री मुकेश सिंह एवं रमेश पासवान निवासी ग्राम पंचायत, बँहसी, सैदपुर, प्रखण्ड–जन्दाहा, जिला–वैशाली के दिनांक 04.02.13 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गयाा था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है:–

ग्राम पंचायत बहसी सैदपुर की मनरेगा योजना संख्या 7/2008–09, 8/2008–09, 30/2011–12, 26/2011–12, 27/11–12, 24/11–12, 25/11–12, 29/11–12 कार्यान्चयन में अनियमितता बरती गयी है।

शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि वृक्षारोपण योजनाओं में भी अनियमितता बरती गयी है। पौधों की लम्बाई कम है। उचित किस्म के पौधे नहीं है। वनपोषक का जैकेट, टोपी पहचान पत्र नहीं दिये गये है। वनपोषको का स्वयं सहायता समूह नहीं बनाया गया है। पौधा की दूरी कम है। 50 प्रतिशत से अधिक पौधे सूख गये है। वनपोषक काम नहीं करते है इत्यादि।

शिकायकर्त्ता के शिकायत पत्र के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, जन्दाहा एवं पंचायत रोजगार सेवक, बहसी सैदपुर से कारण पृच्छा की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि प्रश्नगत शिकायतकर्त्ता ने ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से भी पूर्व में इसी प्रकार का शिकायत पत्र दिया था। उस शिकायत पत्र की जांच संयुक्त सचिव के निदेशानुसार विभाग के पदाधिकारी डॉ0 सतीश प्रसाद एवं श्री गोपाल सिंह द्वारा योजनाओं की स्थल जाँच की गयी थी। उक्त दोनों पदाधिकारियो ने अपना जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था। जांच प्रतिवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी, जन्दाहा द्वारा उपलब्ध कराया गया। यह जांच प्रतिवेदन दस पृष्ठों का है। यह प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। यह प्रतिवेदन आदेश का हिस्सा होगा। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी शिकायतकर्त्ता उपस्थित नहीं हुए।

विभागीय पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत सभी योजनाओं में कार्य नियमानुसार किया गया है। किसी भी योजना में अनियमितता बरतने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। शिकायतकर्त्ता द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने एवं स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण विभागीय जांच प्रतिवेदन को सत्य नहीं मानने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। मेरे द्वारा पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी से योजना संख्या 24/11–12 एवं वृक्षारोपण की योजनाओं के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा अपना कारण पृच्छा दिया गया। जिसमें उनके द्वारा सही रूप में कार्य किए जाने की बात बतायी गयी। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में श्री राजेश महतो, विमल पासवान एवं श्री जगन्नाथ साह का कथन भी प्रस्तुत किया।

दिनांक 12.04.2013 को मेरे द्वारा योजनाओं की स्थल जांच भी की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत बहसी सैदपुर के पंचायत रोजगार सेवक, श्री प्रमोद कुमार, पंचायत तकनीकी सहायक, संजय कुमार, मुखिया, पंचायत बहसी सैदपुर के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे।

मेरे स्थल निरीक्षण में पाया गया कि योजना संख्या 24/11–12 जो कच्चा नाला से संबंधित है। वास्तव में इसका निर्माण किया गया था, परन्तु इसे आंशिक रूप से श्री

सुरेश राय द्वारा भर दिया गया। इनके द्वारा बताया गया कि कच्चा नाला इनकी निजी जमीन से सटा हुआ था। इन्हें बताया गया कि उनका यह कार्य अवैधानिक है। इन्होने आश्वासन दिया कि कच्चा नाला का पुनः बनवा देंगे। इन्हें आदेश दिया जाता है, कि 15 दिनों के अन्दर इसे बनवा देंगे, अन्यथा इस कार्य पर व्यय की गयी राशि वसूलनीय होगी। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, जन्दाहा एवं पंचायत रोजगार सेवक, बहसी सैदपुर करायेंगे।

वृक्षारोपण की योजनाओं की जांच की गयी सभी योजनाएँ संतोषप्रद थी। योजना संख्या 08/11–12 मैं पौधो की संख्या कुछ कम थी। पंचायत रोजगार सेवक, मुखिया को निदेश दिया जाता है कि उचित उँचाई एवं उचित किस्म के पौधो 15 दिनों के अन्दर लगवा दे। इसका अनुपालन भी कार्यक्रम पदाधिकारी पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। अनुपालन प्रतिवेदन तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

इन्ही निष्कर्ष के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर

लोकपाल,
मनरेगा,वैशाली।

ज्ञापांक 476/ मनरेगा, हाजीपुर दिनांकः 08.05.13

प्रतिलिपिः मुखिया ग्राम पंचायत बहसी सैदपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ ।
पंचायत रोजगार सेवक, बहसी सैदपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ।
कार्यक्रम पदाधिकारी, जन्दाहा को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ।

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली

ज्ञापांक 476/ मनरेगा, हाजीपुर दिनांकः 08.05.13

प्रतिलिपिः शिकायतकर्त्ता श्री मुकेश सिंह एवं रमेश पासवान बहसी सैदपुर को सूचनार्थ

लोकपाल
मनरेगा, वैशाली

ज्ञापांक 476/मनरेगा, हाजीपुर दिनांकः 08.05.13

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना, मुख्य सचिव, बिहार, पटना, उप विकास आयुक्त, वैशाली एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ ।

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली